न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 274/2021 दायर दिनाँक 22.09.2021

वादीगण

1. बजरंगलाल पुत्र नारायणराम,
2. मनभरी पत्नि बजरंगलाल,

समस्त जाति माली, निवासीयान राघोदास का बास (दाउदसर), तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. गोहनलाल पुत्र नारायणराम,
2. सोहनलाल पुत्र नारायणराम,
3. रामेश्वरलाल पुत्र नारायणराम,
4. गोरूराम पुत्र नारायणराम, जाति माली, निवासीयान राघोदासजी का बास, दाउदसर, तहसील डीडवाना
5. सुनील कुमार पुत्र बंशीलाल, जाति जाट, निवासी राघोदासजी का बास, दाउदसर, तहसील डीडवाना
6. जेती देवी पुत्री घीसालाल,
7. उमी देवी पुत्री घीसालाल,
8. दाखा देवी पत्नि पूर्णाराम,
9. नेमाराम पुत्र पूर्णाराम,
10. गौरूराम पुत्र पूर्णाराम,
11. बजरंगलाल पुत्र पूर्णाराम,
12. सांवरमल पुत्र पूर्णाराम,
13. हरीराम पुत्र पूर्णाराम,
14. गोपालराम पुत्र पूर्णाराम,
15. मुन्नी पुत्री पूर्णाराम,
16. सन्तोष पुत्री पूर्णाराम,
17. दुर्गा पुत्री पूर्णाराम,
18. दोलाराम पुत्र रामूराम,
19. कुम्भाराम पुत्र मांगुराम, समस्त जाति मेघवंशी, निवासी राघोदास का बास, दाउसर, तहसील डीडवाना
20. दुलाराम पुत्र पुराराम, जाति मेघवाल, निवासी पाबुपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर
21. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक शाखा धनकोली, तहसील डीडवाना
22. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188

उपस्थित:—

1. श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनाँक 08.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 91 रकबा 2.9200 हैक्टर वाके राघोदास का बास, स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 20 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जमाबन्दी [illegible] पेश है।

खेत खसरा संख्या 91 रकबा 2.9200 हैक्[illegible] नम्बर 01 बजरंगलाल का हिंस्सा 9.140 अर्थात 1.03 बीघा [illegible] राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिस पर वादी नम्बर 01 काबिज है, इसके [illegible] वादी नम्बर 01 की पत्नि, वादी नम्बर 02 मनभरी ने [illegible] नम्बर 02 सोहनलाल से 13/360 हिंस्सा अर्थात 13 बिस्वा भूमि खरीद कर कब्जा संभाल लिया, इस प्रकार वादीगण का कुल 1.16 बीघा [illegible] बंट व कब्जा काश्त में आयी हुयी है, तथा यह भूमि आज से 4—5 वर्ष पूर्व पक्षकारान ने आपस में मौखिक बंटवारा करके मौके पर अबाध रूप से काबिज चले आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

रहे है। वादीगण ने अपने बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी की 1.16 बीघा भूमि की दक्षिणी सींव सींव तारबन्दी करके जाली लगायी हुयी है तथा उत्तरी सींव पर पत्थर रोपकर बाड़ की हुयी है, इस भूमि को वादीगण ने अपने नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया है, जो वाद का भाग है। तथा पक्षकारान ने उक्त खेत का मौखिक बंटवारा तो बहुत पहले ही कर लिया था और मौखिक बंटवारा के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने बंट में आयी भूमि पर काबिज है लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से काश्त के समय अड़चन रहती है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 अपस में मिले हुये है तथा वादीगण को बिना रास्ते की जमीन देकर उन पर दबाव डालकर जमीन सस्ती दर पर हड़पना चाहते है, जिसका कि उनको कोई हक अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में वादीगण अपने बंट, हक हिंस्से की भूमि का अलग खाता कानूनी रूप से बंटवारा करवाकर करना चाहते है। जिसके कि ये कानूनन अधिकारी है।

वादीगण के बंट व कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करें, इस हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है। जिसके ये जायज अधिकारी है। दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है, तथा अन्दर मयाद है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 91 रकबा 2.9200 हैक्टर वाकै सरहद राधोदासजी का बास का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वाद के फिकरा संख्या 02 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार 0.1877 हैक्टर (1.16 बीघा) भूमि का किया जाता है, इसका वादीगण को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 08.07.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **274/2021** दायर दिनाँक **22.09.2021**

वादीगण

1. बजरंगलाल पुत्र नारायणराम,
2. मनभरी पत्नि बजरंगलाल,
   समस्त जाति माली, निवासीयान राघोदास का बास (दाउदसर), तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मोहनलाल पुत्र नारायणराम,
2. सोहनलाल पुत्र नारायणराम,
3. रामेश्वरलाल पुत्र नारायणराम,
4. गोरूराम पुत्र नारायणराम, जाति माली, निवासीयान राघोदासजी का बास, दाउदसर, तहसील डीडवाना
5. सुनील कुमार पुत्र बंशीलाल, जाति जाट, निवासी राघोदासजी का बास, दाउदसर, तहसील डीडवाना
6. जेती देवी पुत्री घीसालाल,
7. उमी देवी पुत्री घीसालाल,
8. दाखा देवी पत्नि पूर्णाराम,
9. नेमाराम पुत्र पूर्णाराम,
10. गौरूराम पुत्र पूर्णाराम,
11. बजरंगलाल पुत्र पूर्णाराम,
12. सांवरमल पुत्र पूर्णाराम,
13. हरीराम पुत्र पूर्णाराम,
14. गोपालराम पुत्र पूर्णाराम,
15. मुन्नी पुत्री पूर्णाराम,
16. सन्तोष पुत्री पूर्णाराम,
17. दुर्गा पुत्री पूर्णाराम,
18. दोलाराम पुत्र रामूराम,
19. कुम्भाराम पुत्र मांगुराम, समस्त जाति मेघवंशी, निवासी राघोदास का बास, दाउसर, तहसील डीडवाना
20. दुलाराम पुत्र पुराराम, जाति मेघवाल, निवासी पाबुपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर
21. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक शाखा धनकोली, तहसील डीडवाना

3. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188

दिनाँक 08.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 91 रकबा 2.9200 हैक्टर वाकै सरहद राधोदासजी का बास का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वाद के फिकरा संख्या 02 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार 0.1877 हैक्टर (1.16 बीघा) भूमि का किया जाता है, इसका वादीगण को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner